बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–01/विविध (निःशक्त)–07–15/2016, परि. 1829

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
पुराना सचिवालय, सिचाई भवन, पटना।

पटना, दिनांक–14/3/2020

विषय :– राज्य के राष्ट्रीय एवं राजमार्ग पर आये दिन होने वाले दूर्घटनाओं से संबंधित प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक न्यायालय, राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक–323, दिनांक–10.02.2020 के आलोक में राज्य के राष्ट्रीय एवं राजमार्ग पर आये दिन होने वाले दूर्घटनाओं के संख्या में कमी लाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयास संबंधी प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जाता है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

(82)

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु किये जा रहे कार्य।

1. पटना शहरी क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थलों की पहचान की गई है, जहाँ काफी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है एवं पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण अक्सर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अतएव इससे निजात पाने के लिए नौ स्थलों पर फुटओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पत्रांक–851 दिनांक–24.12.2019 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा पत्रांक–852 दिनांक–24.12.2019 द्वारा पथ निर्माण विभाग को संलग्न सूची के साथ भेजा गया है (पत्र एवं अनुलग्नक की छायाप्रति संलग्न है)।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं पथ निर्माण विभाग को कार्यालय पत्रांक क्रमशः 88 एवं 89 दिनांक–28.01.2020 द्वारा इनके अन्तर्गत आने वाले पथों पर समुचित संख्या में गति संकेतक चिन्ह् लगाने का अनुरोध किया गया है (पत्र एवं अनुलग्नक की छायाप्रति संलग्न है)।
3. सड़कों को दुर्घटना रहित बनाने हेतु इनके रोड सेफ्टी ऑडिट का प्रावधान है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इनके अधीनस्थ राजमार्गों का रोड सेफ्टी ऑडिट करवाया जा रहा है। ऑडिट की अनुशंसाओं के आलोक में सुधारात्मक कार्रवाई की जानी है।
4. राज्य में वर्ष 2018 में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर 246 ऐसे स्थलों की पहचान की गई है जहाँ दो से ज्यादा परन्तु 10 से कम सड़क दुर्घटनाएँ हुई है। इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं पथ निर्माण विभाग को इन स्थलों के परिमार्जन हेतु अनुरोध किया गया है।
5. दुर्घटना से बचने हेतु अनिवार्य सड़क चिन्हों (Mandatory Road Signages), सचेतक सड़क चिन्हों (Cautionary Road Signages), सूचनात्मक सड़क चिन्हों (Informatory Road Signages), सड़क मार्किंग (Road Marking) एवं सड़क संकेतकों (Road Signages) के अधिष्ठापन हेतु पथ निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है।
6. पथ निर्माण विभाग द्वारा 8 प्रमंडलों में 42 स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग पेटिंग किये जाने तथा शेष में कार्य किए जाने की सूचना दी गई है।
7. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु 3,22,456 स्ट्रीट लाईटों तथा 79 ट्रैफिक लाईटों एवं 03 पुश बटन ट्रैफिक लाईट के अधिष्ठापन की सूचना दी गई है।
8. नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त संधि स्थलों की संख्या 715 है। जिसमें जेब्रा क्रॉसिंग की संख्या 118 एवं रोड साईनेजेज 50 तथा स्पीड ब्रेकर रंबल स्ट्रीप की संख्या 108 है।
9. राज्य के प्रत्येक जिले में प्रत्येक सप्ताह वाहनों की सघन जाँच करवाई जा रही है, जिसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघनकर्त्ता वाहनों एवं वाहन चालकों को शमन किया जा रहा है।

(कृ0) 154

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(बिहार सड़क सुरक्षा परिषद)

पत्रांक–स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–89/2019, 89 पटना, दिनांक–28.01.20

प्रेषक,

सीमा त्रिपाठी, भा.प्र.से.
राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पटना, बिहार।

विषयः **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिहार, पटना के क्षेत्रान्तर्गत राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन गति संकेतक चिन्ह् लगाने के संबंध में।**

प्रसंगः **इस कार्यालय का पत्रांक–740 दिनांक–13.11.2019.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबध में कहना है कि दिनांक 17.01.2020 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अर्न्तगत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा से संबंधित संकेतक चिन्ह् लगाये जाने है। राष्ट्रीय उच्च पथों पर गति संकेतक चिन्हों के अधिष्ठापन के बारे में पत्रांक–740 दिनांक–13.11.2019 द्वारा आपसे माँगा गया प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की निर्धारित गति सीमा से संबंधित सूचनात्मक पट्टों के अधिष्ठापन से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जाय, ताकि स्पीडगन के माध्यम से वाहनों की ओवर स्पीडिंग पर रोक लगाई जा सके।

विश्वासभाजन,

28/1/20

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक– स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–89/2019, 89 पटना, दिनांक–28.01.20

प्रतिलिपिः–सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/1/20

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

(500) 153

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्)

पत्रांक–स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–89/2019, ...88.....पटना, दिनांक–...28.01.20

प्रेषक,

सीमा त्रिपाठी, भा.प्र.से.
राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

श्री धनंजय कुमार बम्पट,
अधीक्षण अभियंता (यॉं0),
पथ निर्माण विभाग, पटना, बिहार।

विषयः **पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाले राज्य राजमार्गों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति संकेतक चिन्ह् लगाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबध में कहना है कि दिनांक 17.01.2020 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में पथ निर्माण विभाग के अर्न्तगत आने वाले राज्य राजमार्गों पर वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा से संबंधित संकेतक चिन्ह् लगाये जाने है। राज्य राजमार्गो पर गति संकेतक चिन्हों के अधिष्ठापन के बारे में पत्रांक–739 दिनांक–13.11.2019 द्वारा आपसे माँगा गया प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि राज्य के राजमार्गों पर वाहनों की निर्धारित गति सीमा से संबंधित सूचनात्मक पट्टों के अधिष्ठापन से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जाय, ताकि स्पीडगन के माध्यम से वाहनों की ओवर स्पीडिंग पर रोक लगाई जा सके।

विश्वासभाजन,

28/1/20

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक– स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–89/2019, ...88......पटना, दिनांक–...28.01.20

प्रतिलिपिः–सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/1/20

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

145

५७९

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्)

पत्रांक–स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–83/2019, 851, पटना, दिनांक 24/12/19

प्रेषक,

सीमा त्रिपाठी, भा. प्र. से.
राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिहार, पटना।

विषयः– राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–13.12.2019 को प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के कार्यालय कक्ष में हिन्दुस्तान अखबार में दिनांक–11.12.2019 को प्रकाशित खबर **"सात दिन में सत्रह हादसे"** के आलोक में एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में पटना शहर के वैसे स्थलों की सूची पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जहाँ पैदल यात्रियों द्वारा व्यस्त सड़क को पार करने हेतु फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। चिन्हित स्थलों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित सड़क के चिन्हित स्थलों पर पैदल सड़क पार करने वाले यात्रियों की सुरक्षा हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण यथाशीघ्र करवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

24/12/19

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक– स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–83/2019, 851, पटना, दिनांक 24/12/19

प्रतिलिपि–सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

Desktp/Sanjay Letter(19-09.19)-450

(144) (498)

पत्रांक 2637 / गो0

पुलिस अधीक्षक, यातायात का कार्यालय, पटना।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक, यातायात
पटना।

सेवा में,

राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना। दिनांक 22-12-19

विषय :– पटना के विभिन्न जगहों पर फुट ओवरब्रीज के निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि पटना शहरी क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थल जहां वाहनों का काफी संख्या में आवागमन होता है, जिससे वाहनों का दबाव होता है और उक्त स्थल पर जहा–तहां से पैदल यात्री भी सड़क पार करते हैं। जिससे यातायात जाम की समस्या उत्पन्न होती है साथ ही साथ सड़क पार करने के क्रम में सड़क दुर्घटना भी हो जाती है। अतएव इससे निजात पाने के लिए निम्नांकित स्थलों पर फुट ओवरब्रीज निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। प्राथमिकता के आधार पर जिसकी सूची इस प्रकार है :–

क्रमांक	स्थल का नाम
01	राजेन्द्रनगर आर0ओ0बी0 नीचे (पुरानी बाईपास)
02	चिड़ियाखाना गेट नं0–01 के पास (जवाहर लाल नेहरू मार्ग)
03	सूचना भवन के सामने (जहवार लाल नेहरू मार्ग)
04	हड़ताली मोड़, पंत भवन के सामने (जवाहर लाल नेहरू मार्ग)
05	गोला रोड मोड़ (जवाहर लाल नेहरू मार्ग)
06	अनिसाबाद गोलम्बर (न्यूबाईपास)
07	रामकृष्णानगर थाना मोड़ (न्यूबाईपास)
08	90 फीट रोड मोड़ (न्यूबाईपास)
09	जगनपुरा मोड़ (न्यूबाईपास)

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त सभी स्थलों पर प्राथमिकता के आधार पर फुट ओवरब्रीज निर्माण हेतु अग्रतर कारर्वाई करना चाहेंगे।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

पुलिस अधीक्षक, यातायात,
पटना।

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
5. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

22-12-19

पुलिस अधीक्षक, यातायात,
पटना।

OTHER LETTE

Scanned by CamScanner

143
(497)

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्)

पत्रांक–स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–83/2019, 852, पटना, दिनांक 24/12/19.

प्रेषक,

सीमा त्रिपाठी, भा. प्र. से.
राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

श्री धनंजय कुमार बम्पट,
अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– राज्य उच्च पथों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–13.12.2019 को प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के कार्यालय कक्ष में हिन्दुस्तान अखबार में दिनांक–11.12.2019 को प्रकाशित खबर **"सात दिन में सत्रह हादसे"** के आलोक में एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में पटना शहर के वैसे स्थलों की सूची पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जहाँ पैदल यात्रियों द्वारा व्यस्त सड़क को पार करने हेतु फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। चिन्हित स्थलों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि राज्य उच्च पथों से संबंधित सड़क के चिन्हित स्थलों पर पैदल सड़क पार करने वाले यात्रियों की सुरक्षा हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण यथाशीघ्र करवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

24/12/19
राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक– स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–83/2019, 852, पटना, दिनांक 24/12/19.

प्रतिलिपि–सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

24/12/19
राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

(४९८)
(142)

पत्रांक 2637/गो0
पुलिस अधीक्षक, यातायात का कार्यालय, पटना।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक, यातायात
पटना।

सेवा में,

राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना। दिनांक 22-12-19

विषय :- पटना के विभिन्न जगहों पर फुट ओवरब्रीज के निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि पटना शहरी क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थल जहां वाहनों का काफी संख्या में आवागमन होता है, जिससे वाहनों का दबाव होता है और उक्त स्थल पर जहा-तहां से पैदल यात्री भी सड़क पार करते हैं। जिससे यातायात जाम की समस्या उत्पन्न होती है साथ ही साथ सड़क पार करने के क्रम में सड़क दुर्घटना भी हो जाती है। अतएव इससे निजात पाने के लिए निम्नांकित स्थलों पर फुट ओवरब्रीज निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। प्राथमिकता के आधार पर जिसकी सूची इस प्रकार है :-

क्रमांक	स्थल का नाम
01	राजेन्द्रनगर आर0ओ0बी0 नीचे (पुरानी बाईपास)
02	चिड़ियाखाना गेट नं0-01 के पास (जवाहर लाल नेहरू मार्ग)
03	सूचना भवन के सामने (जहवार लाल नेहरू मार्ग)
04	हड़ताली मोड़, पंत भवन के सामने (जवाहर लाल नेहरू मार्ग)
05	गोला रोड मोड़ (जवाहर लाल नेहरू मार्ग)
06	अनिसाबाद गोलम्बर (न्यूबाईपास)
07	रामकृष्णानगर थाना मोड़ (न्यूबाईपास)
08	90 फीट रोड मोड़ (न्यूबाईपास)
09	जगनपुरा मोड़ (न्यूबाईपास)

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त सभी स्थलों पर प्राथमिकता के आधार पर फुट ओवरब्रीज निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई करना चाहेंगे।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

पुलिस अधीक्षक, यातायात,
पटना।

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
5. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

22/12/19

पुलिस अधीक्षक, यातायात,
पटना।

OTHER LETTI

Scanned by CamScanner